Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी।

पत्रांक– 107 /33–1 / दिनांक, जुलाई, 11 ,2019।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा लगाई गई उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को चार प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11.7.19

(ए0के0सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

संख्या– पी–92/84–2–2019–800(64)/2019

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 07 जून, 2019

विषय– जनपद–झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–26 के किमी0 सं0 3 से 11 तक झांसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2440/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/39827/2019, दिनांक 24.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत कतिपय बिन्दुओं पर अनियमितता/कमियां पायी गयी, जो निम्नवत हैः-

(1) प्रस्ताव के पृष्ठ–2 पर रक्षित परियोजना की स्वीकृति में झांसी–बबीना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) किमी0 01 से 11 अंकित है, जबकि प्रस्ताव में किमी0 3 से 11किमी0 तक ही गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित है। जिसमें विरोधाभास है।

(2) प्रस्ताव के पृष्ठ–94 पर रक्षित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाण पत्र में किमी0 4 से किमी0 11 तक अंकित है, जबकि प्रस्ताव में किमी0 3 से किमी0 11 मार्ग चौड़ीकरण प्रस्तावित है। जिसमें विरोधाभास है।

(3) प्रस्ताव के पृष्ठ–36 पर रक्षित प्रमाण पत्र में परियोजना में किमी0 6 से 8 के मध्य लगभग 1.70 किमी0 लम्बाई एवं 6 मी0 चौड़ाई में बिना अनुमति प्राप्त किये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य किया गया है, जिस कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन पाया गया है।

उक्त उल्लंघन 1.02 हे0 के क्षेत्र में किया गया है, जिसकी अवधि 2.5 वर्ष अर्थात 30 माह है। भारत सरकार के दिषा–निर्देश दिनांक 29–01–2018 के आलोक में सम्बंधित कार्मिक/प्रयोक्ता के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जांच अधिकारी की आख्या उपलब्ध करायी जाये के क्रम में 30 माह तक किये गये उल्लंघन में असफल

रहे विभागीय कार्मिक एवं प्रयोक्ता के विरूद्ध कृत कार्यवाही की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गयी है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रसंगगत प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों एवं एम0ओ0ई0एफ0, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत गाइड-लाईन्स के अनुसार प्रस्ताव का विधिवत् परीक्षण कर निर्धारित शर्तों इत्यादि के साथ अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव भारत सरकार को तत्काल उपलब्ध कराया जा सके।

3– प्रकरण महत्वपूर्ण है। आपका व्यक्तिगत ध्यान एवं सामयशीलता अपेक्षित है।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–68 /11–सी–FP/UP/Road/39827/2019, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 09,2019

प्रतिलिपि– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग), लो0नि0वि0, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।